संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : समाजकल्याण एवं विकास अध्ययन केन्द्र
2. पंजीकृत पता : 71 शेख चॉद, आयुर्वेदिक कालेज रोड़, पीलीभीत
3. संस्था का प्रधान कार्यालय : 100 तखान, पीलीभीत
4. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0
5. उद्‌देश्य

(1) जिला समाज कल्याण एवं विकास योजना का अध्ययन, मूल्यांकन व कार्यक्रमों को लागू कर उनका प्रचार, प्रसार करना।

(2) विकास की समग्र, योजनाओं मे सहयोगी बनकर,क्रियान्वयन मे शासन प्रशासन की सहायता करना।

(3) समाज कल्याण एवं विकास की केन्द्रीय व राज्य स्तर की समस्त योजनाओं की सही जानकारी पात्रों तक पहुँचाना उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना व योजनाओं का संचालन करना।

(4) समग्र विकास कार्यक्रमों व समाजकल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं के लियें पात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिये कार्यशाला, सेमीनार प्रशिक्षण शिविर अधिवेशन वार्षिक आयोजित करना।

(5) धर्म निरपेंक्षता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रप्रेम, विश्व बधुत्व के लिए कार्य करना सामाजिक कुप्रथाओं, आतंकवाद तथा साम्प्रदायिकता का विरोध कर सहअस्तीत्व हेतु सांस्कृतिक विरासत के लिए कार्य करना।

(6) ग्रामीण व शहरी विकास के साथ भूमिहीनो,, बुनकरों व मजदूरों, असहाय महिलाओं व बेरोजगार को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराना, शासन से अनुदान ऋण आदि लेकर परियोजनाये बनाकर उन्हें लागू करना।

(7) कार्यक्षेत्र मे ग्राम स्वाबलम्बन, पंचायत राज को मजबूत करना तथा समग्र विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना व उनका सर्वेक्षण करना।

(8) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, समाजकल्याण बोर्ड, हरिजन समाज, कल्याण की परियोजना व कार्यक्रमों को जिलो के विकास के लिये लागू करना व अन्य समाज सेवी संस्थाओं को विकास के लिए प्रेरित करना।

(9) समस्त जनपदो मे संस्था के उद्‌देश्य व प्रसार के लिए, विकास अध्ययन केन्द्र का गठन कर जिला समन्वयक के द्वारा जनपद विशेष की स्थानीय आवश्यकताओं व विरासत का अध्ययन कर मानवसंसाधन विकास हेतु बीपीएल/जरूरतमन्द समाज के लिए स्वरोजगार अवसरो पर आधारित अभिनव परियोजना, नरेगा ग्रामीण विकास की कापार्ट कार्यक्रमों का कार्य क्रियान्वयन करना तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा विकास काडर नेटवर्क तैयार कर जिला/प्रदेश, केन्द्र शासन प्रशासन को अनुभव रिर्पोटिग द्वारा महत्वपूर्ण जनहित के मामलों पर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना।

(10) राष्ट्रीय महत्व के घोषित कायक्रमों के लिए जनमत तैयार करना व कार्यक्रम लागू करना।

(11) महिलाओं मे जागृति व रोजगार के अवसर दिलाना, बेसहारा विधवा महिलाओं की मदद के लिए "महिलासेवा मण्डल" का गठन करना तथा उनके द्वारा सर्वशिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, संक्षिप्त पाठ्यक्रमों, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जागरूकता प्रसार शिविर, परिवार परामर्श केन्द्र, महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं को समाज कल्याण के अंग के रूप में संचालित करना।

(12) शासन/देश की निगुट राष्ट्रनीति व समाज सुधार अधिनियमों, नीति का प्रचार प्रसार अध्ययन केन्द्रों द्वारा करना।

Omkar
Sarwat
T. Ansari

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली (उ0प्र0)

(13) मुस्लिम अल्पसंख्यकों, पिछड़ें दलित अनु0जाति0जनजाति तथा समाज के निर्बल वर्ग कल्याण हेतु साहित्य प्रकाशन सह अस्तीत्व, साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए कार्य करना तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक हितार्थ शिक्षण संस्थाओं का संचालन प्रबन्धन करना।

(14) भारत मे भारतीय मूल के मुस्लिम समाज की संरचना, अस्पर्शता, जातिवाद कुप्रथाओं के साथ सामाजिक, शैक्षिणक व आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन राज्य स्तरीय वृहद सर्वेक्षण करना तथा रिर्पोट से शासन को सुधार तथा सामाजिक न्याय हेतु अवगत कराना।

(15) कार्यक्षेत्र मे पर्यावरण शिक्षा वन एवं वन्यजीव संरक्षण विषयक पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों का संचालन करना।

(16) भारतीय समाज के सभी धर्मो को समान रूप से सामाजिक न्याय हेतु समस्त दलितों के संवैधानिक अधिकारों के अर्न्तगत प्राप्त सुविधाओं की प्राप्ति हेतु पात्रो में संवैधानिक अध्ययन व जागरूकता लाना तथा जनहित मे कार्ययोजना द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र को फीड बैक उपलब्ध कराना।

(17) विकलांग कल्याण हेतु निःशक्त व्यक्ति विंकलांग अधिनियम 1995 अर्न्तगत समस्त सेवा कार्य, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, सूचना का अधिकार, सेन्ट्रल वक्फ एक्ट आदि सामाजिक कानूनो को लागू करने हेतु जन जागरूकता कार्य सहित विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यक्रम अर्न्तगत गरीबों को न्याय हेतु निशुल्क परामर्श सहायता प्रदान करना।

(18) कार्यक्षेत्र में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, आवास, पेयजल, स्थानीय उपलब्धियों पर आधारित स्वरोजगार सृजन, ग्राम्य / नगरीय स्वास्थ्य विकास के संबंधित स्वयं सहायता समूह गठन, महिला बाल प्रजनन व जन स्वास्थ्य कार्यक्रम, जनपद विरासत एवं विकास, संस्कृति मूल्यांकन संरक्षण आदि समस्त योजनाओं परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयास करना तथा ऐसे सभी कार्य जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 20 के अर्न्तगत आतें है।

(19) कार्यक्षेत्र मे सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, जैविक कृषि, स्थाई कृषि, साक्षरता व कृषि विविधीकरण कार्यक्रमों हेतु शासन की कार्ययोजना के अनुरूप कार्य करना।

(20) भारतीय चिकित्सा पद्वति के प्रचार प्रसार हेतु आर्येवेद, यूनानी व, सिद्वा योगा, आयुष सहित, जड़ी बूटी उत्पादन के क्षेत्र में शोध व अध्ययन प्रोत्साहन करना व जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवा कार्य तथा असेवित क्षेत्रों मे अभिनव स्वास्थ्य केन्द्र निशुल्क मोबाईल स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करना। तथा हस्तशिल्प के क्षेत्र में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर प्रचार प्रसार करना।

Samaj Kalyan Evam Vikas Adhyayan Kendra PILIBHIT (U.P.) मंत्री

समाज कल्याण एवं विकास अध्ययन केन्द्र

Omkar

Sarval-
T. Ansari

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक !- 07.06.2008

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

10/11/08

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : समाजकल्याण एवं विकास अध्ययन केन्द्र
2. पंजीकृत पता : 71 शेख चॉद, आयुर्वेदिक कालेज रोड़, पीलीभीत
3. संस्था का प्रधान कार्यालय : 100 तखान, पीलीभीत
4. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0
5. सदस्यता : कार्यक्षेत्र का कोई भी निवासी जो 21 वर्ष से कम उम्र का न हो, स्वस्थ दिमाग का हो तथा संस्था उद्देश्यों के प्रतिनिष्ठा रखता हो तथा अनैतिक अपराध में दण्डित न हुआ हो।

सदस्य का वर्ग : संस्था की सदस्यता निम्न वर्ग होगी।
(क) आजीवन सदस्यता
(ख) साधारण सदस्य

(अ) आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान होकर संस्था को 10000.00 रू0 नगद दे या इतने की अचल सम्पत्ति एक मुश्त दान की हो, यह संख्या 4 से अधिक न होगी।

(ख) साधारण सदस्य : संस्था का कोई पुरूष/महिला, संस्था जो 150.00 रू0 प्रतिमाह मासिक नगद देगा, वह साधारण सदस्य /संस्थागत होगा। चेक/ड्राफ्ट स्वीकार न होगा।

6. सदस्यता समाप्ति :
(क) संस्था का शुल्क 2 माह तक न देने पर लिखित धन की मांग आवश्यक न होगी।
(ख) स्वयं त्यागपत्र देने पर।
(ग) बिना कोई कारण बैठक मे लगातार 3 बार उपस्थित न होने पर ।
(घ) अनैतिक कार्य अपराध में दंडित होने पर।

7. संस्था के अंग : संस्था का सम्पूर्ण कार्य संचालन निम्न सभाओं द्वारा होगा।
(क) साधारण सभा
(ख) प्रबन्धकारिणी सभा

(क) साधारण सभा : संस्था के समस्त सदस्य, साधारण सभा के सदस्य होगे,. प्रत्येक सदस्य को मताधिकार होगा। संस्था के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(1) बैठक गणपूर्ति सूचना अवधि : साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार अधिवेशन के रूप में होगी, सामान्य बैठक मे गणपूर्ति 2/3 होगी, एक बार स्थगित साधारण सभा में पुनः गणपूर्ति आवश्यक न होगी, सभा/ अधिवेशन की सूचना पोस्टकार्ड से होगी, यू0पी0सी0मान्य होगा,जो रविवार सहित सात दिन पूर्व भेजा जा सकेगी।

(2)साधारण सभा के अधिकार :
(क) साधारण सभा वर्ष में एक बार 7 प्रबन्धकारिणी सदस्य चुनेगी, चुनाव अधिकारी अध्यक्ष होगा तथा वह मंत्री को चुनाव अधिकारी की शक्ति दें सकेगा।
(ख) संस्था के वर्ष के कार्यो की समीक्षा करना और अगले वर्ष के कार्यो की रूपरेखा तैयार करना।
(ग) बजट का अनुमोदन करना तथा विधान मे संशोधन आदि बहुमत के आधार पर करना।

(ख) प्रबन्धकारिणी के अधिकार : संस्था की 7 सदस्यीय प्रबन्धकारिणी होगी जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री तथा परियोंजना निदेशक चार होगे जिसमें 4 आजीवन सदस्य तथा 3 साधारण सदस्यों से चुनकर आयेंगे, प्रबन्धकारिणी के सदस्य होगें।

(1) बैठक गणपूर्ति सूचना व अवधि : प्रबन्धकारिणी की सामान्य बैठक प्रत्येक तीन माह में आवश्यक होगी तथा विशेष किसी समय अध्यक्ष व मंत्री के सयुंक्त हस्ताक्षर से हो सकेगी। सभा के लिये यू0पी0सी0 पोस्टकार्ड पर्याप्त होगा तथा रविवार सहित सात दिन पूर्व सूचना होगी। एक बार स्थगित बैठक पुनः किसी कोरम की जरूरत न होगी। कोरम

Sarvat
Omkar
T. Ansari

अध्यक्ष
समाज कल्याण एवं विकास अध्ययन केन्द्र
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
10/11/18

2/3 उपस्थिति पर होगी विशेष बैठक 24 घण्टे पर लिखित सूचना या मंत्री की सूचना पर्याप्त होगी।

(2) प्रबन्धकारिणी के अधिकार कर्तव्य:

1. संस्था के तमाम कार्यो का संचालन, व्यय स्वीकृति, विकास हेतु कार्यक्रम तैयार करना।
2. अध्यक्ष मंत्री की सहमति से व्यय कार्यो का संचालन।
3. संस्था के लिए केन्द्र व राज्य सरकार उपक्रमों से अनुदान ऋण व पट्टे के लियं आवेदन करना।
4. प्रतिवर्ष आर्थिक चिट्ठा तैयार कर उसका आडिट कराना, कर्मचारियों की नियुक्ति पद मुक्ति, वेतन देना।
5. प्रबन्ध समिति कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

(3) प्रबन्धकारिणी के पद अधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

अध्यक्ष

(क) संस्था का सर्वोच्य पदाधिकार होगा तथा उसे विशेष अधिकार प्राप्त होगा तथा समस्त बैठको की अध्यक्षता अनुमति करना तथा अधिकारी होगा कि किसी विशेष परियोजना कार्य के लिये वेतन निश्चित कर कर्मचारी रखें।

(ख) संस्था के लिए पॉच हजार रूपयें का व्यय विवेक से करना। एक साथ अधिक के लिए प्रबन्धकारिणी का प्रस्ताव बहुमत से आवश्यक होगा।

(ग) संस्था के मंत्री के साथ खाते तैयार करना।

(घ) सदस्यता शुल्क को खाते मे एकत्र करना तथा आजीवन सदस्यता आवेदन की स्वीकृति देना।

(ड़) सभी कार्य जो प्रबन्धकारिणी सौपें।

(च) रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।

(छ) परियोजना निदेशकों का परियोजना वार प्रभारी बनाकर कार्य निर्धारण तथा परियोजना विशेष के लिए कार्य लेना।

(ज) संस्था उद्देश्य पूर्ति हेतु जनपदों मे विकास अध्ययन केन्द्र संचालन हेतु स्वंय सेवी जिला समन्वयक नामित/ पदमुक्त करना तथा मेमोरेण्डम आफ अन्डर स्टैडिंग तैयार कर सहमति पर हस्ताक्षर करना।

(झ) संस्था के उद्देश्य के सापेक्ष संस्था में परामर्श हेतु किसी प्रमुख समाजशास्त्री विकास विशेषज्ञ प्रखर समाजसेवी या सेवा निवृत्त अनुभवी प्रशासानिक सेवा अधिकारी को निर्धारित कार्यकाल हेतु पेटरन नामित करना।

उपाध्यक्ष :

क. अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे सभी अधिकार उपाध्यक्ष को होंगें।

मंत्री

क. मंत्री बैठकों का एजेण्डा जारी करेगा तथा सभाओं, अधिवेशन, समारोह कार्यशाला का प्रबन्ध करेगा।

ख. वित्त साधनों के लिए अध्यक्ष के साथ समस्त मामलों मे हस्ताक्षर कर कार्यो को सम्पादित करेगा।

ग. संस्था के वित्तीय रिकार्ड को तैयार कराकर उसका आडिट करायेगा।

घ. संस्था का वार्षिक बजट बनायेगा तथा साधारण सभा मे रखेगा।अध्यक्ष की अनुमति से परियोजना निदेशक को अवलोकित करायेगा।

ड़. सचिव सौ रूपये रख सकेगा।

परियोजना निदेशक :

क. सभी परियोजना निदेशक विकास योजनायें बनाकर उसे अध्यक्ष के सम्मुख रख सकेंगें।

ख. परियोजना निदेशक द्वारा परियोजनाओं को को–आर्डिनेट करना तथा एक महिला परियोजना निदेशक रहेगी, जो पृथक से महिलाओं के कल्याणकारी कार्यक्रम बनायेगी। जो महिला सेवा मण्डल की भी संयोजक होगी।

ग. महिला सेवा मण्डल संयोजक अतिरिक्त रूप से साधारण सदस्य महिला में से सात महिलाओं को अपने सहयोग के लिए चुन सकती

Omkar
Sarvat T. Ansari

अध्यक्ष
समाज कल्याण एवं विकास अध्ययन केन्द्र
बालाघाट (उ०प्र०)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

है। परन्तु उन्हें कोई अधिकार किसी समिति से न होगा अधिकार केवल परियोजना निदेशक को ही होगा।

ग–2 प्रत्येक परियोजना निदेशक अपनी योजना को प्रारम्भ से अन्तिम रूप तक सहयोगी रहेगें और उसके विकास के उत्तरदायी होगें।

घ. परियोजना निदेशक, अध्यक्ष की बिना सहमति दूसरी परियोजना कार्यो में हस्तक्षेप नही करेगा परन्तु पर्यवेक्षक के रूप में अध्यक्ष की अनुमति से मध्यस्त हो सकेगा तथा उसकी रिर्पोट प्रभावी होगी।

ङ महिला परियोजना निदेशक अध्यक्ष की सहमति से महिलाओं की कल्याणकारी योजना बनायेगी।

8. रिक्त स्थानों की पूर्ति : यदि किसी कारण वश कोई स्थान रिक्त हो तो अगले चुनाव व प्रबन्ध कारिणी में शेष समय के लिए अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह नामित कर दे, इसे मताधिकार भी होगा।

9. संस्था के नियमों मे संशोधन : संस्था के उद्देश्यो, स्वरूप में संशोधन कार्यवाही सोसायटी रजि0 एक्ट की धारा 12 के अर्न्तगत होगी और एक्ट की धारा 12(ख) के अनुसार पंजीयन हेतु निबन्धक महोदय को सूचित करना होगा।

10. संस्था का कोष : संस्था के सम्पूर्ण कोष का संचालन सयुंक्त खाते में अध्यक्ष एवं मंत्री या अधिकृत परियोजना हस्ताक्षरी के हस्ताक्षरों से राष्ट्रीयकृत बैक मे होगें।

11. आय व्यय लेखा परीक्षा : समस्त आय–व्यय किसी चार्डट एकाउन्टेन्ट से कराया जायेगा।

12. संस्था के विरुद्ध अदालती कार्यवाही : संस्था का न्याय क्षेत्र पीलीभीत न्यायालय होगा अध्यक्ष तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में मंत्री द्वारा कार्यवाही हो सकेगी।

13. संस्था के अभिलेख : संस्था के अभिलेख अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगें तथा निम्न अभिलेख मंत्री द्वारा तैयार होगें।

(1) सदस्यता रजिस्टर (2) कार्यवाही रजि0
(3) सदस्यता रसीद बुक (4) स्टाक बुक
(5) कैशबुक (6) बीजक (7) लेजर

14. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही : संस्था के विघटन एवं उपरोक्त कार्यवाही का निस्तारण सोसायटी एक्ट अधि0 1860 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

15. प्रशिक्षण : संस्था के विकास योजना के लिए प्रशिक्षक, प्रशिक्षण कार्यक्रम जो अध्यक्ष द्वारा तैयार होगा। ब्लाक ग्राम सभा स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को भी लेना होगा।

16. पदाधिकारियों का संयुक्त उत्तरदायित्व : संस्था किसी अनुदान ऋण व धन की अदायगी में सभी का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा धन की अदायगी के बिना त्याग पत्र हो जाने पर देय भार उस पर रहेगा तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु संस्था सरकारी, गैरसरकारी व एफ.सी.आर.के अर्न्तगत दान, अनुदान, ऋण, अग्रिम, भूमि सम्पत्ति आदि की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहेगी।

17. संस्था की वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रत्येक वर्ष रहेगा।

18. भाषा लिपि : संस्था की लिखा पढ़ी भाषा हिन्दी एवं देवनागरी यथा सम्भव होगा।

(सत्यप्रतिलिपि)

1. [signature] 2. Omkar 3. [signature] 4. [signature]

5. Sarval 6. T. Ansari 7. [signature]

स्थान : पीलीभीत

दिनांक : 09.06.08

सत्य प्रतिलिपि

अध्यक्ष
समाज कल्याण एवं विकास अध्ययन केन्द्र
बालाजीत (उ0प्र0)

मंत्री

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)
10/11/08